

● दिनांक—07.11.2023 को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में
आहूत आयोग की आंतरिक बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही।

उपस्थिति:-

1. श्री हिमांशु शेखर चौधरी, अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
2. श्रीमती शबनम परवीन, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
3. श्री संजय कुमार, सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
4. श्री सिकन्दर राय, अवर सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
5. श्री कुमार रविश, प्रशास्त्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
6. श्री विनोद कुमार वर्मा, सहायक प्रशास्त्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आज दिनांक—07.11.2023 को आयोग की आंतरिक बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गईः—

1. गत वर्ष 09 दिसम्बर को आयोग के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। श्री हलधर महतो तत्कालीन सदस्य, राज्य खाद्य आयोग द्वारा दिनांक—06.11.2023 को ईमेल के माध्यम से सुझाव दिया गया कि “यदि इस समारोह को या स्थापना दिवस को आयोग गठन की तिथि को अधिसूचना की तिथि अर्थात् दिनांक 13 अप्रैल को या इसके आसपास रखा जाता तो काफी अच्छा रहता”। कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार विभाग के संकल्प संख्या—7380 दिनांक—09.12.2015 द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली—2015 की स्वीकृति दी गई थी। इसी के आधार पर गत वर्ष 09 दिसम्बर को आयोग का स्थापना दिवस मनाया गया था। विभाग के अधिसूचना संख्या—1632 दिनांक—13.04.2017 द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति से सम्बन्धित पत्र निर्गत हुआ था। श्री महतो द्वारा इस अधिसूचना के परिपेक्ष्य में 13 अप्रैल या इसके आसपास की तिथि में राज्य खाद्य आयोग के स्थापना दिवस अथवा समारोह आयोजित करने का सुझाव दिया गया है। विभाग के उक्त संकल्प एवं अधिसूचना तथा तत्कालीन सदस्य के सुझाव पर विमर्श किया गया। विमर्शोपरान्त निर्णय लिया गया कि आयोग माह दिसम्बर से अप्रैल के बीच सुविधा के अनुसार किसी तिथि को वार्षिक समारोह आयोजित करेगा। इस वर्ष माह जनवरी या फरवरी में यह कार्यक्रम किया जायेगा। तिथि का निर्धारण मुख्य अतिथि की उपलब्धता को देखते हुए शीघ्र निर्धारित किया जायेगा।
2. पूर्व में राज्य स्तर पर एक समारोह आयोजित कर प्रत्येक जिलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया था। इस हेतु जिला स्तरीय चयन समिति से 15 नवम्बर तक चयनित मुखिया का नाम भेजने का निदेश जिलों के उपायुक्त को दिया गया था। चूंकि अब समारोह जनवरी अथवा फरवरी माह में होना प्रस्तावित है। अतः चयनित मुखिया का नाम 15 दिसम्बर तक भेजने हेतु सभी उपायुक्त को सूचित करने का निर्णय लिया गया।
3. गत दिनों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों का आयोग द्वारा भ्रमण कर इन जिलों के मुखिया के साथ संवाद एवं जनसुनवाई किया गया। जिलों में जागरूकता के उद्देश्य से कार्रवाई करने के पश्चात् भी शिकायतों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। अतः निर्णय लिया गया कि चार प्रमुख समाचार—पत्रों, क्षेत्रीय टी0वी0 न्यूज चैनलों एवं सोशल मीडिया में

प्रचार-प्रसार को और अधिक गति देने के साथ एफ०एम० रेडियो पर भी रेडियो जिंगल चलाने का निर्णय लिया गया।

3. वेबसाइट पर प्राप्त शिकायतों के निष्पादन की स्थिति काफी धीमी है। वेबसाइट में कई बदलाव भी किये गये हैं। DGRO को वेबसाइट से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों के निष्पादन के विषय में तकनीकी जानकारी देने की आवश्यकता है। निर्णय लिया गया कि नवंबर के अंतिम सप्ताह एवं दिसम्बर के अंतिम सप्ताह के बीच सभी DGRO एवं उनके कम्प्यूटर ऑपरेटर को राँची में प्रशिक्षण दिया जाए। इस हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश अवर सचिव को दिया गया।
4. आयोग द्वारा राज्य के सभी जिलों में मुखिया संवाद एवं जनसुनवाई की गई। महसूस किया गया कि इस क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, इसकी जानकारी आयोग को प्राप्त हो। अध्यक्ष द्वारा सदस्या को इस सम्बन्ध में सर्वे से संबंधित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
5. वर्तमान में आयोग में 01 आप्त सचिव, 01 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं 01 निम्न वर्गीय लिपिक का पद रिक्त है। निर्णय लिया गया कि इन रिक्त पदों पर पदस्थापना लिये कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को पत्र प्रेषित किया जाए।
6. आयोग में निष्पादन हेतु परिवाद-पत्रों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। भविष्य में इनमें और वृद्धि होने की संभावना है। इसको देखते हुए निम्न पद सृजन की आवश्यकता महसूस की जा रही है :—

➤ स्टेनोग्राफर	—	02
➤ कम्प्यूटर ऑपरेटर	—	02
➤ सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	—	01

अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया गया कि पदों के सृजन हेतु विभाग को पत्र प्रेषित किया जाए।

7. प्रशाखा पदाधिकारी, श्री कुमार रविश द्वारा विभाग में प्रेषित किये जाने वाले बजट प्राकलन प्रेषित करने के संदर्भ में बताया गया। अध्यक्ष द्वारा सर्वेक्षण एवं रिसर्च मद में 10.00 लाख रु०, विज्ञापन, प्रचार-प्रसार मद में 03 करोड़ रु० एवं प्रशिक्षण मद में 10 लाख रु० का मांग प्रेषित करने हेतु निर्देश दिया गया। मोटर वाहन में कार्यालय पूल हेतु 01 वाहन का बढ़ा कर इसके अनुरूप बजट मांगने का भी निर्देश दिया गया। शेष शीर्ष में पूर्व की भाँति माँग की जाए, यह भी निर्देश दिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(हिमांशु शेरकर चौधरी)

अध्यक्ष,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।